

हज गाइड



अहमद जावेद



ख़ुशरो फ़ाउण्डेशन

नई दिल्ली-110024

हज गाइड

प्रस्तावना
अहमद जावेद

प्रकाशित
खुसरो फ़ाउण्डेशन
D-319, डिफ़ेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-24
फ़ोन : 011-47091095

©All Rights Reserved

नाम किताब : हज गाइड
मुरत्तब : अहमद जावेद
तादाद : 5000
कम्पोजिंग : परवेज़ अहमद
नाशिर : खुसरो फ़ाउण्डेशन
राब्ता पब्लिशर : खुसरो फ़ाउण्डेशन,
डी-319, डिफेंस कॉलोनी
नई दिल्ली-110024
+91-11-47091095

डिज़ाइनिंग व प्रिण्टिंग : अर्शिया पब्लिकेशन्स

arshia publications

A-170, Ground Floor-3, Surya Apartment, Dilshad Colony, Delhi - 110095 (INDIA)

Mob: +919971775969, +919899706640 Email: arshiapublicationspvt@gmail.com

हज की फ़र्जीयत

व'लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल-बैति
मनिस्तताआ इलैहि सबीला, व-मन
क'फ़'र फ़इन्नल्ला'ह गनीयुन अनिल-
आ'लमीन। (आल-इमरान:97)

“लोगों पर अल्लाह का यह हक़ है कि जो
उसके घर तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता
हो उसका हज करे। और जिसने इंकार किया तो
अल्लाह तआला जहाँ वालों से बे-नियाज़ है।”

फ़हरिस्त

परिचय	डॉ. हफ़ीज़ुर्रहमान	5
प्रस्तावना	अहमद जावेद	12
हज और उसका पैग़ाम	मोहम्मद अली शाह शोएब	17
मनासिक-ए-हज	मुफ़्ती रहमत अली मिस्बाही	25
हिदायात बराए हज	अहमद जावेद	52
नज़्म व ज़ब्त	ग़ुलाम मुहीउद्दीन बट	81
परिचय खुसरो फ़ाउण्डेशन		83

परिचय

जायरीन-ए-हज,

हम खुसरो फ़ाउण्डेशन की तरफ़ से आपको इस फ़रीजे की अदायगी के लिए दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके हज को क़बूल फ़रमाए और आपके इस मुबारक सफ़र में आने वाली मुश्किलात को आसान फ़रमाए।
आमीन

याद रखिए कि आप उन खुश-नसीबों में से हैं जिनको अल्लाह ने इस साल अपने घर की ज़ियारत के लिए चुना है इसलिए आप अपनी

क्रिस्मत पर जितना फ़रव करें, कम है।

हज एक ऐसी इबादत है जो हर आक़िल व बालिग़, साहिबे निसाब और सेहतमंद मर्द व औरत पर ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार फ़र्ज है और इस इबादत का मक़सद सफ़र के दौरान होने वाली हर मुश्किल को अल्लाह की मर्ज़ी समझ कर खुशी-खुशी कुबूल करना, हर परेशानी में सब्र से काम लेना, अपने अख़लाक़ व किरदार से अपने हमसफ़र साथियों और दूसरे देश से आने वाले हाजियों को मुतअस्सिर करना, इबादत के वक़्त अपनी दुआओं में अपने ख़ानदान, दोस्त, आलम-ए-इंसानियत और अपने वतन-ए-अज़ीज़ को याद रखना, अपने पूरे हज के सफ़र के दौरान हुस्न-ए-अख़लाक़ की ऐसी मिसाल क़ायम करना कि जो लोग भी आपके राबते में आएँ वह आपको और आपके मुल्क को याद रखें।

हज ज्ञात-पात, बड़े-छोटे और ऊँच-नीच के फ़र्क़ को ख़त्म कर देने वाली इबादत है। नमाज़ की सफ़बंदी की तरह हज के दौरान भी एहराम की हालत में तमाम दुनिया के हाजी एक ही लिबास में नज़र आते हैं जिसको देख कर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के हज्जतुल-विदा (आख़िरी हज) के मौक़े पर दिए गए ख़ुत्बे के वह तारीख़ी अल्फ़ाज़ याद आते हैं कि “आज अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया।” जिसमें आगे कहा गया है कि किसी अरबी को अज्मी पर, किसी गोरे को काले पर कोई फ़ज़ीलत नहीं मगर जिसका किरदार अच्छा होगा वह भलाई का हक़दार है। इन्ना अकरम-कुम इंदल्लाहि अतक्काकुम यानी तुम में से वह अल्लाह के नज़दीक़ प्यारा है जो मुत्तक़ी यानी नेक है। लिहाज़ा हज के इस मुबारक सफ़र में हमें एक ऐसा

आला अख्लाक व किरदार का ऐसा नमूना पेश करना है जो अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल.) के फ़रमान के मुताबिक़ हो।

याद रखिए कि इस मुबारक सफ़र में जहाँ हर हर क़दम पर आप नेकी और अज़्र व सवाब के मुस्तहिक़ रहेंगे वहीं किसी भी मुश्किल में गुस्सा, झगड़ा, बद-अख़लाक़ी और बद-तहज़ीबी आपके आमाल को बर्बाद भी कर सकती है। चाहे वह मुश्किल आपको जहाज़ के सफ़र में आए या मक्का और मदीना, मिना व अराफ़ात में क्रयाम के दौरान आए। आपको हर हालत में सब्र व शुक्र का मुज़ाहिरा करना है ताकि अल्लाह आपको हर मुश्किल के बदले नेकियों का ख़ज़ाना अता फ़रमा दे।

हम उम्मीद करते हैं कि यह किताबचा हर मुश्किल वक़्त में आपका साथी और मददगार

साबित होगा। इस किताबचे के अंदर मुकम्मल मनासिक-ए-हज को तरतीब से पेश किया गया है। आपके घर से रवानगी के बाद वापस घर आने तक हज कमेटी ऑफ़ इंडिया, भारत सरकार और सऊदी अरब में क़याम और हज की अदायगी के लिए जो सऊदी अरब की गाइडलाइन्स हैं उनका भी ज़िक्र किया गया है।

हम शुक्रगुज़ार हैं मोहतरम जनाब अहमद जावेद साहब, रिटायर्ड आईपीएस, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर एवं सऊदी अरब में भारत के पूर्व राजदूत के जिन्होंने इस किताबचे को तरतीब देकर भारत के हाजियों की रहनुमाई के लिए सामान फ़राहम किया है। अहमद जावेद साहब एक लम्बे समय तक सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहते हुए हज और उमरा के इंतज़ामात और भारतीय हाजियों की परेशानियों को क़रीब से देख चुके हैं। हम

शुक्रगुज़ार हैं जनाब मोहम्मद अली शाह शोएब,
मुफ़्ती रहमत अली मिस्बाही और डॉ. गुलाम
मुहीउद्दीन बट का जिन्होंने इस किताब में अपना
योगदान दिया है।

हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि यक़ीन है कि आप इन
गाइडलाइंस पर भी अमल करेंगे और बहुत अच्छे
तरीक़े से हज अदा करके अपना और अपने मुल्क
का नाम रौशन करेंगे और खुसरो फ़ाउण्डेशन और
उसके ज़िम्मेदारों को अपनी दुआओं में याद
रखेंगे।

डॉ. हफ़ीज़ुर्रहमान
संयोजक,
खुसरो फ़ाउण्डेशन

○ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ○

तुम में अल्लाह के नज़दीक वह प्यारा है जो तक्रवा
वाला है। (क़ुरआन)

لا فرق بين عربي وأعجمي ولا أبيض وأسود

○ إِلَّا بِالتَّقْوَى ○

अरबी ओर उज्मी के बीच और गोरे और काले के
बीच कोई फ़र्क़ नहीं है सिवाए तक्रवा के। (हदीस)

○ الخلق عيال الله ○

तमाम मखलूक़ अल्लाह का कुनबा हैं। (हदीस)

प्रस्तावना

हज एक ऐसा अमल है जो आपकी रूह को पाकीज़ा करके आपके किरदार को बेहतर बनाता और सँवारता है। हज को खालिस नीयत और मक़सद की समझ के साथ किया जाए ताकि कोई आपत्तिजनक एवं ग़लत हरकत न हो और आपका हज कुबूल हो।

हमें ख़ुशी है कि अल्लाह ने आपको इस मुक़दस सफ़र के लिए चुना है। इस मुबारक मौक़े पर आपके हाथों में इस मार्गदर्शन (किताबचे) को पहुँचा कर हमें बड़ी ख़ुशी हो रही है। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपके इस मुबारक सफ़र को

आसान बनाए और कुबूल फ़रमाए।
एक हदीस के मुताबिक़ (कोई भी) सफ़र अज़ाब
की एक शक़ल होती है। यानी चाहे कितनी ही
सहूलतें क्यों न हों मगर फिर भी सफ़र में
मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है।
लिहाज़ा इस सफ़र के दौरान भी आपको
मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे
वो सेहत की, या हवाई सफ़र की, या दौराने-हज
इन्तज़ामिया की या फिर अपने आस-पास के
मुसाफ़िरों की तरफ़ से पेश आएँ। हम उम्मीद करते
हैं कि आपको जो भी मुश्किलात और परेशानियाँ
आएँगी उन पर आप सब्र और इंसानियत से काम
लेंगे और इस बात का ख़याल रखेंगे कि आपके
किसी भी अमल से किसी को कोई तकलीफ़ न
पहुँचे। आपकी ज़बान शराफ़त और शाइस्ता और

दिल में हर पल अपने करीबी साथी के आराम का ख्याल होगा।

हज चूँकि एक आलमगीर इज्तिमा है इस लिहाज़ से अल्लाह के उस पाक घर में दुनिया भर के मुसलमान आते हैं और अपने-अपने मुल्क की नुमाइन्दगी करते हैं। लिहाज़ा हम उम्मीद करते हैं कि तमाम लोगों के साथ आपका बर्ताव बहुत-ही नर्म और मुश्फ़क़ाना (प्यार भरा) होगा और लोगों की ख़िदमत करके आप उनका दिल जीत रहे होंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हज के दौरान अल्लाह से अपने मुल्क की सलामती के लिये दुआ करेंगे और जब हज करके लौटेंगे तो अपने मुआशरे को एक पुर-अमन मुआशरा बनाने का पुख़्ता इरादा दिल में लेकर लौटेंगे।

इस छोटी सी पुस्तक में उन्हीं ज़रूरी गाइडलाइंस

(मार्गदर्शन) को शामिल किया गया है जो पूरे हज के सफ़र में आप के काम आएँ।

हम अपनी तरफ़ से ख़ुसरो फ़ाउण्डेशन और उसकी पूरी टीम को इस कार-ए-ख़ैर के लिए मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं जिनके तआवुन से बहुत कम वक़्त में इस पुस्तक को मुकम्मल किया जा सका।

हम उम्मीद करते हैं कि इस पुस्तक में बयान की गई तमाम बातों का आप ख़याल रखेंगे और हज के इस मुक़द्दस अमल से अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने और आख़िरत के लिए बेहतरीन अज़्र हासिल करने की कोशिश करेंगे।

अहमद जावेद

पूर्व राजदूत

मौलाना जलालुद्दीन रूमी का क़ौल

माँ-बाप के साथ आपका सुलूक ऐसी कहानी है
जो लिखते आप हैं लेकिन आपकी औलाद
आपको पढ़ कर सुनाती है।

अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना
नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे हजार दर्जे
बेहतर है।

हज और उसका पैग़ाम

मोहम्मद अली शाह शोएब

अल-हम्दुलिल्लाह! हज के इस फ़र्ज को मुसलमान चौदह सौ सालों से लगातार करते चले आ रहे हैं। हर साल हज करने वालों की तादाद में इज़ाफ़ा ही होता चला जा रहा है। हक़ीक़त ये है कि जिस तरह नमाज़, रोज़ा और दूसरी इबादात एक मक़सद रखती हैं उसी तरह हज भी एक आफ़ाक़ी मक़सद और इंक़िलाबी पैग़ाम रखता है। अगर हज को जाने वाले मुसलमानों की एक चौथाई तादाद भी उस मक़सद और पैग़ाम को समझें और उस साँचे में अपने आपको ढालने की

कोशिश करें तो यक्रीन जानिये मुसलमानों की जो इस वक़्त सूरते-हाल है वो न सिर्फ़ बेहतर होगी बल्कि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा मुहज़ज़ब और तरक्की-याफ़ता क़ौम बन जाएगी। और इस तरह ये उम्मत अपने खोए हुए मक़ाम और मर्तबे को हासिल कर पाएगी।

हज के लुग़वी और इस्तिलाही माना

हज के लुग़वी माना (शाब्दिक अर्थ) हैं “किसी बा-अज़मत चीज़ का इरादा करना” इस्लामी इस्तिलाह (Terminology) के मुताबिक़ हज का मतलब होता है “इज़ज़त और अज़मत वाले अल्लाह के पाक घर काबा की ज़ियारत का इरादा करना।” यानी ख़ालिस और यकसू होकर अल्लाह की इबादत करने, उसकी इताअत पर क़मर-बस्ता होने का इरादा करने और उस महबूब

अल्लाह के करीब व नज़दीक हो कर उसकी खुशनूदी हासिल करने के लिये उसके घर खाना काबा की ज़ियारत और तवाफ़ करने का इरादा करना।

हज के इस मतलब को ज़ेहन में रखकर सोचिये कि जब हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो उसके लिये तैयारी भी करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी मुल्क के सरबराह या बादशाह से मिलने जाने का इरादा करते हैं तो उसकी खूब तैयारी करते हैं। बादशाह के दरबार में जाने के आदाब सीखते हैं, हाथ मिलाने और बात करने तक का सलीका सीखते हैं।

ज़रा सोचें कि अज़मत वाले अल्लाह के पाक घर की ज़ियारत का अगर कोई इरादा (हज) करे तो क्या उसे ऐसे ही उठकर चल देना चाहिये? क्या

उसे अल्लाह के दरबार में हाज़िरी के मक़सद को, आदाब और सलीक़े को और वहाँ पर होने वाली हर एक्टिविटी के मक़सद को अच्छे से समझ और सीख नहीं लेना चाहिये?

आइये इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि हज से हमें क्या पैग़ाम मिलता है? हज से आने के बाद एक मोमिन के अन्दर क्या-क्या नज़रियाती और अमली तब्दीलियाँ नुमायाँ नज़र आनी चाहियें।

इस पाकीज़ा फ़र्ज़ को अदा करने का इरादा करते ही इन्सान को पुख़्ता इरादा कर लेना चाहिये कि अब उसकी ज़िन्दगी अल्लाह के रंग में रंगी होगी। अब वो ज़ुल्म और गुनाह के रास्ते को मुकम्मल तौर पर छोड़कर माफ़ी और दरगुज़र को अपनी आदत बनाएगा। इसीलिये इस सफ़र पर जाने से

पहले अपने-आपको हर तरह के गुनाह से पाक और हर तरह की देनदारी से आज़ाद करा लेना चाहिये। अहद कर लेना चाहिये कि अब उसकी ज़िन्दगी मुकम्मल तौर पर उसके रब की रज़ा के लिये और ज़मीन पर उसके बन्दों की खिदमत के लिये वक़फ़ होगी जिससे ज़मीन पर अमन-वसलामती को क़ायम करने में मदद मिले ताकि हम अपने देश और समाज की तरक्की में अपना रोल अदा कर सकें।

इस इरादे को दिल में पक्का कर लेने के बाद अब उसको चाहिये कि ज़ेहन में झुँझलाहट, गुस्सा, एक-दूसरे से आगे बढ़ जाने की होड़ में ग़लत रास्ता इख़्तियार करने से इस क़द्र परहेज़ करे कि ये ख़सलतें इस तरह कम से कमतर होती चली जाएँ कि जब वो इस फ़रीज़े की अदायगी से फ़ारिग़

होकर घर लौटे तो ये खसलतें इस तरह खत्म हो गई हों जैसे किसी मासूम बच्चे ने दुनिया में अभी-अभी क़दम रखा हो। अब उससे कोई शख्स धोखेबाज़ी और ज़ुल्म की, गुनाह और ज़्यादती की उम्मीद भी न कर सकता हो।

हज मुसलमानों का एक आलमी इज्तिमा है, जो मुसलमानों को ये पैग़ाम देता है कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जिसे दुनिया में अच्छाई को फैलाने और बुराई से रोकने के लिए भेजा गया है। लिहाज़ा यह फ़र्ज़ मुसलमानों को इस बात की याद दिलाता है कि दुनिया के इंसानों को यह पैग़ाम दिया जाए कि “अल-ख़लकु अयालुल्लाह” यानी सारा संसार एक ही परिवार है, इन्सान होने की हैसियत से तमाम इन्सान बराबर हैं, किसी भी इन्सान को ये हक़ हरगिज़

हासिल नहीं है कि वो अपने ही जैसे इन्सानों को अपना गुलाम बनाए या उन पर ज़ुल्म करे। इस हज की अदायगी के दौरान जो भी अरकान आप अदा करें उन सब अरकान को इस तरह अदा करें कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली आ जाए कि आपका किरदार व अमल पूरी दुनिया-ए-इंसानियत के लिए एक मिसाल बन जाए।

अमीर ख़ुसरो का क़ौल

“स्वयं आसमान ने इस बात कि पुष्टि की है कि
धरती के सभी देशों में भारत सर्वश्रेष्ठ है.”

मनासिक-ए-हज (हज के अरकान)

डॉ. मोहम्मद ताहिरुल कादरी

तर्तीब व तलखीस:

मुफ़्ती रहमत अली मिस्बाही

आठ ज़िल-हिज्जा की सुबह से हज का आगाज़ होता है जो कि 12 ज़िल-हिज्जा तक रहता है। हज के ये पाँच दिन (अय्याम-ए-हज) सारे सफ़र का हासिल होते हैं। इन मुक़द्दस अय्याम की तफ़्सीलात कुछ इस तरह हैं:

हज के पाँच दिनों के प्रोग्राम की तर्तीब:

1. यौमुत्तलविया

(हज का पहला दिन...8 ज़िल-हिज्जा)

i. गुस्ल और एहराम:

इस रोज़ आप सुबह सवेरे उठने की कोशिश करें। उठते ही सबसे पहले सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करें और अगर गुस्ल ना हो सके तो फिर वज़ू ही कर ले। इसे गुस्ल या वज़ू में एहराम की नीयत भी कर ले। इसके बाद मसनून तरीक़े से एहराम बाँध कर दो रकात नफ़िल अदा करें। जब नमाज़-ए-फ़ज़्र का वक़्त हो जाए तो कोशिश करें की नमाज़ मस्जिद-ए-हराम में अदा हो जाए और वहीं बैठकर हज की नीयत भी कर ले।



ii. हज की नीयत: “ऐ अल्लाह! मैं हज की नीयत करता हूँ, बस इसको मेरे लिए आसान फ़रमा, मेरे हज को क़बूल फ़रमा, इसमें मेरी मदद फ़रमा और इसमें मेरे लिए ख़ैर व बरकत फ़रमा, मैंने हज की नीयत और अल्लाह की रज़ा के लिए अहराम बाँधा।”

iii. तल्बियह: हज की नीयत करने के फ़ौरन बाद ज़रा बुलंद आवाज़ से तल्बियह कहें। "लब्बै'क अल्लाहुम्मा लब्बैक.. लब्बै'क ला शरी-का लका लब्बैक.. इन्नल-हम्दा वन्ने-मता लका वल-मुल्क, ला शरी-क लक" मैं हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ .. मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक (साझी) नहीं, मैं हाज़िर हूँ .. बेशक हर तरह की तारीफ़ें, सभी नेअमतें, और मुल्क भी तेरा ही है। तेरा कोई शरीक नहीं।

iv. **तवाफ़-ए-कुदूम:** मिना को खाना होने से पहले तवाफ़-ए-कुदूम (आने का तवाफ़) करें।

v. **मिना को खानगी:** तवाफ़-ए-कुदूम के बाद मिना को खाना हो जाएँ। मिना का मक़ाम वादी-ए-मक्का से तक्ररीबन ३ किलोमीटर दूर है। मिना की तरफ़ जाते हुए रास्ते में तल्बियह व अज़कार और इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा से पढ़ते रहें और नबी (सल्ल.) पर दरूद भेजते रहें। मिना में आप ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा और 9 ज़िल-हिज्जा की नमाज़-ए-फ़ज़्र अदा करेंगे। मिना में रात का क्रियाम सुन्नत है और बेहतर है कि रात को भी तल्बियह, इस्तिग़फ़ार और दीगर दुआएँ पढ़ते रहें। अगर किसी वजह से मिना पहुँचने में देरी हो जाए या मिना न पहुँच सकें तो कोई दम वग़ैरा लाज़िम नहीं, लेकिन

जानबूझ कर ऐसा न करें।



vi. वादी-ए-मिना की दुआ: अरफ़ा की शब
वादी-ए-मिना में यह दुआ करनी चाहिए: “पाक है वह ज़ात जिसका अर्श आसमान में है, पाक है वह ज़ात जिसका ठिकाना ज़मीन में है। पाक है वह ज़ात जिसका रास्ता समंदर में है। पाक है वह ज़ात जिसकी हुकमरानी आग पर है। पाक है वह ज़ात जिसकी रहमत जन्नत में है। पाक है वह ज़ात जिसका हुक्म क़ब्र में ज़ाहिर है। पाक है वह

ज़ात जिसका हुक्म हवा पर है। पाक है वह ज़ात जिसने आसमान को बुलंद किया। पाक है वह ज़ात जिसने ज़मीन को बिछाया। पाक है वह ज़ात जिसके सिवा न कोई सहारा है और न कोई जा-ए-पनाह (पनाह की जगह) है।

2. यौमे-अरफ़ा (हज का दूसरा दिन...9 ज़िल-हिज्जा) हज का दूसरा दिन दूसरे दिनों के हिसाब से बहुत अहम होता है। यह मग़फ़िरत का दिन है जिसे यौमे-अरफ़ा भी कहते हैं। इसी दिन हज का सबसे बड़ा रुकन वुकूफ़-ए-अराफ़ात अदा किया जाता है।

i. अराफ़ात की तरफ़ ख़वानगी: सुबह मुस्तहब वक़्त में नमाज़ पढ़ कर सूरज तुलूअ होने पर अराफ़ात की तरफ़ ख़वाना हो जाएँ। रास्ते में अल्लाह का ज़िक्र, दरूद और लब्बैक ज़्यादा

से ज़्यादा पढ़ते रहें और अराफ़ात की तरफ़
रवानगी के वक़्त यह दुआ माँगें। “इलाही मैंने
तेरी तरफ़ रुख़ फेरा और तुझी पर भरोसा किया
और तेरी तवज्जो का तालिब हूँ। मेरे गुनाहों को
माफ़ फ़रमा और मेरे हज को क़बूल फ़रमा, मुझ
पर रहम फ़रमा और महरूम वापस न कर, मेरे
सफ़र में बरकत अता कर और अराफ़ात में मेरी
हाजत पूरी कर, तू हर चीज़ पर कुदरत वाला है।



ii. अराफ़ात में दाख़िल होने की दुआ:

अराफ़ात के मैदान में दाख़िल होते वक़्त अल्लाह तआला की तस्बीह बयान करें और ज़बान से यह अल्फ़ाज़ अदा करें: “सुब्हानल्लाहि वल-हम्दुलिल्लाहि वला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर” पाक है अल्लाह की ज़ात और सब तारीफ़ उसी के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। आप जब अराफ़ात में दाख़िल हो जाएँ तो जबल-ए-रहमत के पास या जहाँ जगह मिले रास्ते से बच कर उतरें और दोपहर तक ज़्यादा वक़्त सदक़ा व ख़ैरात और ज़िक्र व लब्बैक में मशगूल रहें।

iii. वुकूफ़-ए-अराफ़ात की दुआ: दोपहर ढलते ही कोशिश करें कि मस्जिद-ए-नमरा

जाएँ और ज़ोहर, असर की नमाज़ एक साथ मस्जिद-ए-नमरा में ही अदा करें और नमाज़ पढ़ते ही मौकुफ़ रवाना हो जाएँ वह खास नुज़ूल-ए-रहमत की जगह है। यहाँ खड़े होकर या बैठकर जैसे हो सके दुआ करें। अपने रब की बारगाह में हाथ फैलाए हुए तकबीर व तहलील, हम्द, ज़िक्र, दुआ और तौबा में डूब जाएँ क्योंकि यह वुकूफ़ ही हज की जान और उसका बड़ा रुकन है। (यही वह मक़ाम है जहाँ हज के दौरान अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की थी।) लिहाज़ा नबी (सल्ल.) पर दरूद भेजें। अपने वालिदैन्, अज़ीज़ व अक्कारिब, अपने वतन और दोस्त अहबाब के लिए दुआ करें।

iv. मुज़दलिफ़ा को रवानगी और क्रियाम-ए-

शब: जब सूरज ढलने का यक्रीन हो जाए तो फ़ौरन मुज़दलिफ़ा (अराफ़ात और मिना के बीच का मैदान) की तरफ़ रवाना हों लेकिन इमाम से पहले अराफ़ात से न निकलें। रास्ते में ज़िक्र व अज़कार, दरूद व दुआ और लब्बैक में मसरूफ़ रहें। मुज़दलिफ़ा की तरफ़ जाते हुए रास्ते में यह दुआ पढ़ें: “ऐ अल्लाह! मैं तेरी तरफ़ हाज़िर हुआ, मैं तेरे अज़ाब से ख़ौफ़ज़दा हूँ और तेरी तरफ़ लौट के आता हूँ और तेरे ग़ज़ब से डरता हूँ। या अल्लाह तू मेरे हज़ को कुबूल कर और इसके बाद सवाब-ए-अज़ीम इनायत फ़रमा, मेरी तौबा कुबूल कर, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ कुबूल कर। जब आप मुज़दलिफ़ा के मैदान में पहुँचेंगे तो इस मैदान के आखिरी हद पर आपको एक पहाड़ नज़र

आएगा जिसे मशअर-ए-हराम कहते हैं।
 कोशिश करें कि मशअर-ए-हराम के पास ठहरें
 या फिर मुज़दलिफ़ा की हुदूद में जहाँ जगह मिल
 जाए, ठहर जाएँ। यहाँ पहुँच कर मगरिब और
 इशा की नमाज़ इमाम के साथ पढ़ें। इसके बाद
 मगरिब व इशा की सुन्नतें और वित्र अदा करें।
 मुज़दलिफ़ा में तमाम रात जागना अफ़ज़ल है।
 रात भर नमाज़, तिलावत, दुआएँ करते रहना
 चाहिए। इस मौक़े पर यह दुआ भी पढ़ें:
 अल्लाहुम-म इन्नी असअलु-क अन
 तरज़ुकनी फ़ी हाज़ल-मकानी जवामिअल
 ख़ैरि कुल्लिहि व अन-तसरु-फ़ अलस्सूड
 कुल्लहू फ़इन्नहू ला-यफ़अल ज़ालि-क
 ग़ैरु-क वला यजूदु बिहि इल्ला अन-ता। “ऐ
 अल्लाह! मैं तुझ से सवाल करता हूँ कि तू मुझे

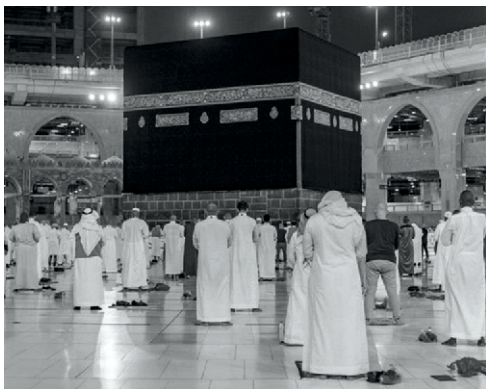
नेकियाँ अता कर, मुझ से बुराईयों को दूर कर
और बेशक यह काम तेरे सिवा कोई और नहीं
कर सकता और न ही तेरे सिवा कोई बखशने
वाला है।”

3. यौमे-नहर (हज का तीसरा दिन...10 ज़िल-हिज्जा)

हज के तीसरे रोज़ ईदुल-अज़्हा होती है मगर
हाजियों की मसरूफ़ियात और इस रोज़ के
मनासिक-ए-हज की अहमियत की वजह से
हाजी नमाज़-ए-ईद से आज़ाद होते हैं। इस रोज़ के
प्रोग्राम कुछ यूँ है:

i. वकूफ़-ए-मुज़दलिफ़ा: 10 ज़िल-हिज्जा को
फ़ज्र के बाद सूरज के निकलने तक मुज़दलिफ़ा में
वकूफ़ (क्रियाम) लाज़िमी है। मुज़दलिफ़ा क्रियाम
के वक़्त सुबह की नमाज़ के बाद यह दुआ माँगनी

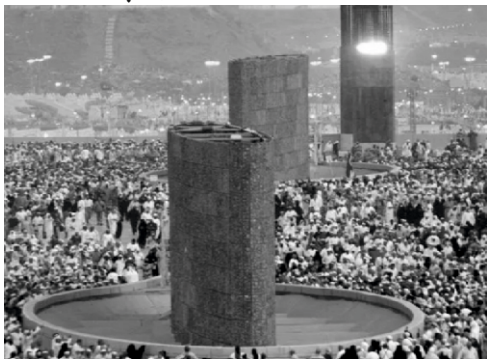
चाहिए: अल्लाहुम'म ब'ल'ग़ रू'ह मुहम्मदिन
मिन्नन नहीय'त वस्सलामु वद'खिलना
दारुस्सलामु या जुल-जिलालि वल-इकराम “ऐ
अल्लाह! हमारी तरफ़ से रूह-ए-मुहम्मद
(सल्ल.) को हमारा दरूद व सलाम पहुँचा। ऐ
साहिब-ए-जलाल व इकराम! हमें सलामती के
घर में दाखिल फ़रमा।”



ii. मिना की तरफ़ रवानगी: जब सूरज के निकलने में दो रकात नमाज़ पढ़ने का वक़्त रह जाए तो मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ़ रवाना होना चाहिए। मिना में रमी के लिए कंकरियाँ मुज़दलिफ़ा ही से उठा लेनी चाहिए। कोशिश करें की तक्ररीबन 70 कंकरियाँ तीनों दिनों के लिए अपने पास महफूज़ कर लें ताकि वहाँ कोई परेशानी न हो। मुज़दलिफ़ा से रवाना होते वक़्त वादी-ए-महशर से न गुज़रें, यह मुज़दलिफ़ा से ख़ारिज है। अगर मजबूरन इस वादी से गुज़रना ही पड़े तो दौड़ कर गुज़र जाएँ क्योंकि इस वादी में अस्हाब-ए-फ़ील पर अज़ाब नाज़िल हुआ था।

iii. जमरा-ए-उक़्बा (बड़े शैतान) पर पहली रमी: मिना पहुँच कर सब से पहले जमरा-ए-उक़्बा की तरफ़ रवाना हों। जमरा-ए-उक़्बा

आखिरी सुतून है। इस पर सात कंकरियाँ मारी जाती हैं और इस रोज सिर्फ़ इसी पर रमी की जाती है। यह रमी तुलूअ-ए-आफ़ताब से गुरुब-ए-आफ़ताब तक किसी वक़्त भी की जा सकती है। हर कंकरी फेंकते वक़्त ज़बान से यह अल्फ़ाज़ अदा करें। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबरु रग़मन लिश-शैतान। “अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो सबसे बड़ा है ताकि शैतान ज़लील हो।”





iv. कुर्बानी: रमी से फ़ारिग़ होकर कुर्बानी में मशगूल हों। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में हज के शुकराने के तौर पर की जाती है। कुर्बानी भेड़, बकरी, दुंबा या ऊँट किसी की भी दी जा सकती है। फ़र्क़ सिर्फ़ यह है कि भेड़, बकरी और दुंबा में शिर्कत नहीं होती और ऊँट में सात आदमी शरीक हो सकते हैं। कुर्बानी के जानवरों की उम्र और आज़ा में वहीं शर्तें हैं जो ईद की क़र्बानी में हैं।

v. हल्क़ या तक्रसीर (सर मुंडवाना या बाल कटवाना): कुर्बानी के बाद क़िब्ला की तरफ़ बैठ कर मर्द हल्क़ (सर मुंडवाना) या तक्रसीर (बाल कतरवाना) करवाएँ लेकिन सर मुंडवाना बाल कतरवाने की बनिस्बत ज़्यादा अफ़ज़ल है क्योंकि पैग़म्बर-ए-इस्लाम (सल्ल.) ने फ़रमाया: “अल्लाहुम-मग़्फ़िरु लिल-मुहलिक़ीन। “ऐ अल्लाह! सर मुंडवाने वालों को बख़्श दे।” सर मुंडवाते वक़्त मस्नून यह है कि दाईं तरफ़ से सर मुंडवाएँ और अगर बाल कतरवाने हों तो उंगली के पोर के बराबर कतरवाएँ। औरतें उंगली के एक पोर के बराबर बाल कतरवाएँ। मर्द और ख़्वातीन अपने बालों को दफ़्न कर दें। हल्क़ या तक्रसीर से पहले न बाल कतरवाएँ और न ही ख़त बनवाएँ।



vi. एहराम उतारना: कुर्बानी, हल्क व तकसीर और एहराम खोलने के बाद तवाफ़-ए-ज़ियारत के लिए मक्का मोअज़्मा की तरफ़ रवाना हों। इस तवाफ़ में एक काँधा खोलना ज़रूरी नहीं क्योंकि यह आम लिबास में किया जाता है। तवाफ़-ए-ज़ियारत हज का दूसरा अहम रुकन है और यह उमरा के तवाफ़ की ही तरह किया जाता है। तवाफ़-ए-ज़ियारत का वक़्त ईद की सुबह से लेकर अय्याम-ए-नहर के इख़्तिताम तक है। अगर 12 ज़िल-हिज्जा का आफ़ताब गुरुब होने से पहले पहले कर लिया जाए तो जायज़ है। अगर तारीख़ गुज़र गई और तवाफ़-ए-ज़ियारत नहीं किया तो दम देना वाजिब होगा और तवाफ़ भी अदा करना पड़ेगा। बहरहाल जब तवाफ़-ए-ज़ियारत कर लिया तो अब एहराम की तमाम

पाबंदियाँ खत्म हो गईं।

vii. हज की सई: तवाफ़-ए-ज़ियारत के बाद आप रोज़ाना के लिबास में सफ़ा व मरवा की सई करेंगे। हज की सई के बाद दो रकात नफ़िल नमाज़ पढ़ें। इन सबके बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़-ए-विदाअ और रमी के अलावा तमाम वाजिबात से फ़ारिग हो चुके हैं। अल्लाह कि बारगाह में सज्दा-ए-शुक्र बजा लाएँ जिसने आपको ज़िंदगी में हज जैसी सआदत-ए-उज़्मा से नवाज़ा है।

viii. अय्याम-ए-रमी (हज का चौथा, पाँचवाँ और छठा दिन...11,12,13 ज़िल-हिज्जा): तवाफ़-ए-ज़ियारत से फ़ारिग होने के बाद मिना वापस आ जाएँ और दो रातें और दो दिन यहीं क्रियाम करें। गयारहवीं तारीख को ज़ोहर की

नमाज़ के बाद फिर रमी के लिए रवाना हों और रमी जमरा-ए-ऊला (यानी पहले शैतान) से शुरू करें। फिर जमरा-ए-वुस्ता (बीच वाले) पर जाएँ। रमी के बाद कुछ आगे बढ़ कर दिल से दुआ व इस्तग़फ़ार करें। फिर जमरा-ए-उक़बा (पीछे वाले शैतान) पर जाएँ मगर यहाँ रमी करके रुकें नहीं बल्कि फ़ौरन वापस आ जाएँ। इसी तरह 12 तारीख़ को ज़वाल के बाद रमी करें और बारहवीं की रमी करके गुरुब-ए-आफ़ताब से पहले मक्का मोअज़्ज़मा को रवाना हो जाएँ।

ix. तवाफ़-ए-विदा (तवाफ़-ए-रुख़सत या आख़िरी तवाफ़): जब वापसी का इरादा हो तो तवाफ़-ए-विदा बजा लाएँ मगर इसमें रमल है जिसमें न तो तेज़ चलना है और न काँधा खोल के रखना है। फिर दो रकात नमाज़-ए-नफ़िल मक़ाम-

ए-इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पढ़ कर ज़मज़म पर आएँ, अपने हाथ से पानी लें और क़िब्ला-रू होकर ख़ूब सैर होकर पिएँ। हर साँस में नज़रें उठा कर अल्लाह के प्यारे घर को भी तकते रहें। अपने जिस्म, सर और मुँह पर भी पानी लगाएँ और पानी पीते वक़्त यह दुआ पढ़ें: अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका 'इल्मन नैफ़ी' आ, वा रिज़का वसी'आ, वा शिफा'अम मिन कुल्ली दाई “ऐ अल्लाह! मैं तुझसे नफ़ा देने वाले इल्म और कुशादा रोज़ी और हर बीमारी से शिफ़ा का तालिब हूँ।” ज़मज़म से फ़ारिग होने के बाद मक़ाम-ए-मुल्तज़िम पर आएँ। बाब-ए-काबा पर खड़े होकर बोसा दें। ख़ाना-ए-काबा का पर्दा पकड़ कर यह दुआ माँगें (अगर भीड़ की वजह से ख़ाना-ए-काबा तक पहुँचना मुमकिन न हो तो

अपना हाथ खाना-ए-काबा की तरफ़ उठा कर यह दुआ करें।) अस्साईलु बिबाबि'क यस्तल'क मिन फ़ज़िल'क व मअरूफ़ि'क व यर'जू रहमतिक “तेरे दर का साइल तुझसे तेरे फ़ज़ल और मेहरबानियों का सवाल करता है और तेरी रहमत की उम्मीद करता है।

x. खाना-ए-काबा से जुदा होने की दुआ: जब आप तवाफ़-ए-विदा, ज़मज़म और मक्काम-ए-मुल्तज़िम से फ़ारिग हो जाएँ तो फिर हज़्र-ए-असवद को बोसा देकर खाना-ए-काबा से जुदाई पर अफ़सोस करते हुए मस्जिद-ए-हराम से बाहर आ जाएँ और यह दुआ पढ़ें: ऐ अल्लाह! मेरे इस हज को अपने घर की आखिरी ज़ियारतगाह न बना जो हुमत वाला है और अगर तू इसको आखिरी ज़ियारतगाह बनाए तो इसके बदले में

जन्नत अता फ़रमा।

xi. नीचे कही गई बातों का ख़ास ख़याल रखें जो तमाम हज करने वालों के लिए बेहद ज़रूरी हैं:

हज के फ़राइज़: एहराम, वक़ूफ़-ए-अरफ़ा, तवाफ़-ए-ज़ियारत करना। कुछ उलमा ने सई को भी हज के फ़राइज़ में शुमार किया है।

हज के वाजिबात: मीक़ात से एहराम के बग़ैर न गुज़रना। अरफ़ा के दिन ग़ुरूब-ए-आफ़ातब तक मैदान-ए-अराफ़ात में रहना। मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ करना। जमरात (शैतान) को कंकरियाँ मारना। कुर्बानी करना (हज अफ़राद में वाजिब नहीं), सर के बाल मुंडवाना या कटवाना। सई करना। तवाफ़-ए-विदा करना। फ़ायदा: हज के फ़राइज़ में

से अगर कोई एक फ़र्ज छूट जाए तो हज सही नहीं होगा और जिसकी तलाफ़ी दम से भी मुमकिन नहीं। अगर वाजिबात में से कोई एक वाजिब छूट जाए तो हज सही हो जाएगा मगर जज़ा/दम लाज़िम होगा।

ममनूआत-ए-एहराम: खुशबू इस्तेमाल करना, नाखून काटना, जिस्म से बाल दूर करना, शौहर-बीवी वाले खास तअल्लुक्रात कायम करना, चेहरे को ढाँकना, सिले हुए कपड़े पहनना (सिर्फ़ मर्दों के लिए), सर ढाँकना (सिर्फ़ मर्दों के लिए), मीक्रात से बाहर रहने वाले हज़रात वापसी के वक़्त तवाफ़-ए-विदा ज़रूर करें।

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ

يُوقِّرْ كَبِيرَنَا ○

जो छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और बड़ों की
इज़्ज़त नहीं करता वह हम में से नहीं है।
(हदीस)

हिदायात बराए हज

(सेन्ट्रल हज कमेटी के शुक्रिये के साथ)

अहमद जावेद

- वेबसाइट पर जरूर जाएँ:
www.hajcommittee.gov.in
- ऐप (App) जरूर डाउनलोड करें:
HAJ SUVIDHA
- हज के दरमियान नीचे बताए गए **“करने और न करने के कामों”** पर सख्ती से अमल करना चाहिए।

1. हवाई जहाज़ (परवाज़) का तअय्युन:

i. परवाज़ की तफ़सीलात के बारे में जानकारी SMS/ WhatsApp/ Voice Message/ Telephonic Call के ज़रिए पहले से ही दे दी जाएगी।

ii. यह जानकारीयाँ हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर भी अपलोड की जाएँगी।

iii. मशवरा दिया जाता है कि आप अपने सफ़र की तैयारी बताए गए शेड्यूल के मुताबिक़ करें।

iv. हज के सफ़र की उड़ान में तब्दीली की किसी भी दरख्वास्त पर ग़ौर नहीं किया जाएगा।

v. हज कवर हेड को साथी आजमीन, हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया के ओहदेदारों और सऊदी हुकूमत के कर्मचारियों के साथ मुनासिब रवैये से पेश आना चाहिए।

vi. हुज्जाज या उनके रिश्तेदारों की तरफ़ से किसी भी तरह के ग़लत बर्ताव को संजीदगी से देखा जाता है और ऐसे मामलात में हज के सफ़र को कैंसिल (रद्द) करने के अलावा मुनासिब क़ानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

vii. उड़ानों में किसी भी तरह की देरी या कैंसिल (रद्द) की सूरत में एयरलाइंस नियम के मुताबिक़ ख़ाना और ठहरने के लिए जगह वगैरा फ़राहम करने की ज़िम्मेदार होगी।

viii. कुछ ख़ास हालात को छोड़कर उनके लिए तय उड़ान के अलावा किसी दूसरी उड़ान से सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी।

ix. एयर चार्टर के तहत एयर टिकट मुंतक़िल नहीं हो सकते। इसलिए तयशुदा वक़्त से पहले वापसी की लड़ाई पर किसी तब्दीली/ मंसूखी/ मुंतक़िली

की इजाजत नहीं होगी।

x. कवर (ग्रुप) को तक्रसीम करने की दरख्वास्त पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया जाएगा।

xi. एक बार फ़्लाइट एलॉटमेंट होने के बाद परवाज़ (उड़ान) की तारीख़ में तब्दीली पर गौर सिर्फ़ उन मामलात में किया जाएगा जिनकी मौत/संगीन बीमारी, हादसे में हज के ख्वाहिशमंद या क़रीबी खानदान के रुक्न की मौत होगी। अगली परवाज़ में सीट (सीटों) की तस्दीक़ सीटों की दस्तयाबी पर ही दी जाएगी।

xii. हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया फ़्लाइट की तारीख़/ वक़्त को बदलने या ज़रूरत पड़ने पर सफ़र को रद्द करने कर हक़ महफूज़ रखती है।

xiii. हवाई अड्डे पर रिपोर्टिंग का वक़्त परवाज़ की खानगी से 4 घण्टे पहले होगा। अगर कोई

हुज्जाज बिलिंग के बाद अपनी फ़्लाइट में सवार नहीं हो सकता है तो उसे सीट मौजूद होने की हालत में अगली जहाज़ के लिए एक हाजी 25,000/- रुपये अदा करने होंगे और उससे पैदा होने वाले किसी भी नताइज का ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।

xiv. परवाज़ का आगाज़: फ़्लाइट की एलॉटमेंट एयरलाइंस और सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस/ हिदायात CGI जेद्दा या किसी और वजह से रिहाइश की तस्दीक के मुताबिक़ होगी।

xv. सिटी चेक-इन: एयरलाइंस वापसी के सफ़र के दौरान सिटी चेक-इन ख़िदमात फ़राहम करेंगी। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में आजमीन से हर फ़्लाइट के लिए 36 से 48 घण्टे पहले

सामान उनकी मुतअल्लिक्रा इमारतों में जमा कर लिया जाएगा।

xvi. अहम नोट:

हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया किसी भी नुक़सान/चोट/ हादसे/ ताख़ीर या किसी दूसरी बे-ज़ाब्तगी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, जो इतिज़ामात से मुतअल्लिक्रा शख्स की ग़लती से हुई हो। हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया परवाज़ के शेडयूल में देरी, मौसम की ख़राबी, हड़ताल, जंग, कुदरती आफ़ात, हवाई जहाज़ की तकनीकी ख़राबियों वग़ैरा की वजह से होने वाले किसी नुक़सान या इज़ाफ़ी इख़राजात के लिए भी ज़िम्मेदार नहीं होगा। इस तरह के तमाम नुक़सानात या इख़राजात हुज्जाज-ए-किराम बर्दाशत करेंगे।

- तमाम हुज्जाज-ए-किराम को अमले की तरफ़ से दी गई हिफ़ाज़ती हिदायात पर अमल करना चाहिए।
- सीट बेल्ट पहनना चाहिए।
- हवाई जहाज़ के गलियारों में नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए।
- आज़मीन अपनी सीट पर नमाज़ पढ़ सकते हैं।
- वज़ू करते वक़्त पानी बहाने से भी परहेज़ करना चाहिए।
- एक जगह पर इकट्ठा होने से बचना चाहिए क्योंकि यह परवाज़ में हिफ़ाज़ती ख़तरा हो सकता है।
- जहाज़ के दौरान हुज्जाज को मीक़ात उबूर करने के बारे में बताया जाएगा ताकि वह

नीयत कर सकें।

2. हुज्जाज सिर्फ़ एयरलाइंस के ज़रिए जिन सामान की इजाज़त है वही ले जा सकते हैं जैसा कि हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया ने हज गाइडलाइंस और हज गाइड में बयान किया है।

3. सामान खो जाने पर दावा करने का तरीक़ा: हुज्जाज-ए-किराम को आगाह किया जाता है कि सामान चेक-इन कराने से पहले अपने सामान का बैगेज-टैग हर हाल में हासिल कर लें। सामान न मिलने या नुक़सान हो जाने की सूरत में बैगेज-टैग का होना बहुत फ़ायदेमंद होता है। परवाज़ से उतरने पर कोई सामान न मिलने पर हाजी नीचे बताए गए तरीक़ों पर अमल करें:

1. आज़मीन-ए-किराम संबंधित एयरलाइंस के

नज़दीकी गुमशुदा बैगेज काउण्टर पर राब्ता करें।

2. गुमशुदा सामान का बैगेज टैग दिखा कर शिकायत दर्ज कराएँ।

3. संबंधित एयरलाइंस के पास गुमशुदा सामान की शिकायत दर्ज कराकर शिकायत की एक कॉपी अपने पास महफूज़ रखें ताकि मुस्तक़बिल में ज़रूरत पड़ने पर उसको दिखाया जा सके।

4. अगर गुमशुदा सामान हज की आखिरी परवाज़ की वापसी तक न मिल पाए तो संबंधित कागज़ात के साथ और गुमशुदा सामान की दर्ज की गई शिकायत की बिना पर संबंधित एयरलाइंस से हर्जाने/मुआवज़े का दावा करें।

5. इस साल गुमशुदा सामान के मुआवज़े का दावा करने की आखिरी तारीख 30 सितम्बर 2024 है।

4. जेद्दा/मदीना हवाई अड्डे पर:

- i. जेद्दा/ मदीना हवाई अड्डों पर पहुँचने वाले तमाम आजमीन अपने सफ़री दस्तावेज़ात (पासपोर्ट, वीज़ा, वैक्सीनेशन कार्ड) दिखाने के लिए तैयार रखें।
- ii. आजमीन को इमीग्रेशन हुक्काम के सामने अपनी बायोमेट्रिक शिनाख़्त देनी होगी। पासपोर्ट में ज़रूरी एंट्री मुतअल्लिम (संबंधित) अथॉरिटी सऊदी अरब में उनके दाखिले पर करेगी।
- iii. सऊदी अरब पहुँचने पर आजमीन को मुअल्लिम की फ़राहम की गई बसों के ज़रिए मक्का/मदीना शहर पहुँचाया जाएगा।
- iv. उनका पासपोर्ट मोअल्लिम अमला जमा करेगा।
- v. आजमीन-ए-हज को मोअल्लिम की तरफ़ से

फ़राहमकर्दा मोअल्लिम का कड़ा पहनना भी ज़रूरी है।

vi. आजमीन को उनकी रिहाइश पर पहुंचाया जाएगा। हुज्जाज-ए-किराम को आमद के वक़्त सऊदी अरब की जारीकर्दा हिदायात पर अमल करने की भी ज़रूरत होगी।

vii. सऊदी हुकूमत और हिंदुस्तानी हज आजमीन-ए-उमूर के दफ़्तर की हिदायात पर सख़्ती से अमल किया जाए।

viii. इण्डियन हज मिशन हवाई अड्डों से आजमीन की आसानी के लिए ज़रूरी इंतज़ामात करेगा।

ix. किसी भी मुश्किल सूरत में हवाई अड्डे के बाहर स्थित हिंदुस्तानी हज आजमीन-ए-उमूर के दफ़्तर से हिंदुस्तानी आजमीन राबता कर सकते हैं।

5. सऊदी अरब में क्रियाम का दौरानिया:

- हुज्जाज-ए-किराम के क्रियाम का दौरानिया 30 से 40 दिन और एयरलाइंस, जनरल अथॉरिटी ऑफ़ सिविल एविएशन, सऊदी अरब की तरफ़ से मंज़ूर शेड्यूल के मुताबिक़ मुख्तलिफ़ हो सकता है।
- मक्का में रिहाइश पूरे सीज़न के लिए किराए पर लिए जाते हैं चाहे क्रियाम की मुदत कुछ भी हो और इसलिए तमाम हाजियों से यकसाँ तौर पर वसूल किया जाता है।
- कोई भी हाजी क्रियाम की असल मुदत की बुनियाद पर किसी भी रक़म की वापसी का हक़दार नहीं है।

रिहाइश:

i. मक्का रिहाइश:

- मक्का मुकर्रमा में रिहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलत: सऊदी नियम के मुताबिक वहाँ रिहाइश के इंतज़ाम के लिए रिज़र्वेशन कराना पड़ता है।
- मक्का मुकर्रमा (मरकज़िया से बाहर) और हरम शरीफ़ में रिहाइश के दरमियान सफ़र के लिए 24 घण्टे बस की सहूलत फ़राहम की गई है। बस का रूट सऊदी हुक्काम हुज्जाज की हिफ़ाज़त के लिए तय करते हैं।
- **रिहाइश की तब्दीली:** रिहाइश हाजियों की कुल तादाद के मुताबिक़ किराए पर ली जाती है इसलिए हाजी की रिहाइश किसी भी सूरत में तब्दील नहीं की जाएगी।

ii. मदीना रिहाइश:

- मदीना मुनव्वरा में, मरकज़िया के इलाक़े

(हरम शरीफ़ से पहली रिंग रोड के अंदर) में रिहाइशगारों को तरजीही तौर पर आजमीन की रिहाइश के लिए किराए पर लिया जाता है।

- पिछले साल के तजर्बात और रिहाइश की मौजूदा गुंजाइश की बुनियाद पर यह उम्मीद की जाती है कि 60-65 फ़ीसद हुज्जाज-ए-किराम को मरकज़िया में रिहाइश मिल जाएगी जबकि बक्रिया हुज्जाज-ए-किराम को मरकज़िया से बाहर रिहाइश मुहैया कराई जाएगी।
- मदीना मुनव्वरा में रिहाइश के इंतज़ामात “ऑन दी स्पॉट अलॉटमेंट” की बुनियाद पर किए जाते हैं।
- अदला स्टैबलिशमेंट मदीना मुनव्वरा में

हाजियों की रिहाइश के इतिजामात वगैरा के लिए मक्कामी सऊदी अथॉरिटी है।

- मरकज़िया के बाहर से हरम शरीफ़ के दरमियान में आने-जाने के लिए कोई बस की सहूलत दस्तियाब नहीं है। रिहाइश (मरकज़िया के बाहर) और हरम शरीफ़ मदीना मुनव्वरा में खाना पकाने की इजाज़त नहीं है। जायरीन क़रीबी रेस्टोरेंट से खाना खरीद सकते हैं।

iii. मुस्तसना जुमरा: वह आजमीन जो रबात में क्रियाम के ख्वाहिशमंद और हक़दार हैं उन्हें सऊदी हुकूमत के उसूलों के तहत रबात में रहने की इजाज़त होगी। उनकी रिहाइश के लिए हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया की तरफ़ से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और अगर चार्जेज़ लिए गए होंगे तो

वह उन आजमीन को वापस कर दिए जाएंगे जो रबात की सहूलत इस्तेमाल करेंगे।

6. मिना, अराफ़ात व मुज़दलिफ़ा में क्रियाम और नक़ल व हरकत:

- मिना एक वादी है जिसमें जगह महदूद है और हुज्जाज को अपने रहने की जगह बड़े खेमों में दूसरों के साथ बाँटनी पड़ती है।
- हुज्जाज-ए-किराम को मिना में 5 से 6 दिन क्रियाम करना होता है।
- चूँकि मिना में जगह बेहद कम है इसलिए हुज्जाज-ए-किराम को सिर्फ़ ज़रूरी सामान अपने साथ रखना चाहिए।
- मिना में खेमों का अलॉटमेंट, मेट्रो और बस की सहूलियात हुज्जाज-ए-किराम की

हिफ़ाज़त और नक़ल व हरकत को ध्यान में रखते हुए करते हैं।

- मिना में रिवायती हुदूद में जगह की तंगी की वजह से इस बात का इमकान है कि तक्ररीबन एक चौथाई हुज्जाज को मिना की रिवायती हुदूद से बाहर सऊदी हुक्काम की जानिब से खेमे दिए जाएं।
- इसके साथ ही मिना में ट्रेन के रूट के साथ लगे टेंट में ठहरने वाले हुज्जाज-ए-किराम को सऊदी हुक्काम की जानिब से मेट्रो ट्रेन के टिकट लाज़मी तौर पर दिए जाते हैं जबकि दूसरों को मिना, अरफ़ात और मुज़दलिफ़ा के बीच सफ़र के लिए बस की सहूलत फ़राहम की जाती है।
- यह भी सख़्त मशवरा दिया जाता है कि हज

के दौरान मशाइर (जहाँ कुर्बानी वगैरा अदा की जाएँ) में जाते वक़्त अपने साथ हवाई टिकट, सफ़र के दस्तावेज़ात, ज़्यादा नक़द, ज़ेवरात और दीगर क़ीमती सामान न ले जाएँ।

7. सिम कार्ड: हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया आज़मीन-ए-हज को सिम कार्ड फ़राहम करने या फ़राहम कराने का ज़िम्मेदार नहीं है। कवर हेड के लिए यह लाज़िमी है कि वह अपना काम करने वाला मोबाइल नंबर हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया के साथ रजिस्टर्ड कराए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग/लोकल पैकेज कम से कम 2 GB डाटा के साथ वाली सहूलत मौजूद हो ताकि H A J SUVIDHA एप की तमाम ख़सूसियात और फ़वाइद आज़मीन-ए-हज तक पहुंचाया जा सके।

8. मौत वाक़ेअ हो जाने पर: आज़िम-ए-हज की सऊदी अरब में हज के दौरान कुदरती या हादसाती मौत होने पर उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन सऊदी अरब के क़ानून के मुताबिक़ वहीं पर कर दी जाती है। मौत की सनद (Death Certificate) काउंसलेट जनरल ऑफ़ इण्डिया, जेद्दा मरहूम के घर वालों को हज ख़त्म हो जाने पर भेज देगा। हाजी की मौत होने पर उसके क़रीबी रिश्तेदार/ क़ानूनी हक़दार की रज़ामंदी के बाद ही तजहीज़ व तकफ़ीन की जाती है। आज़मीन-ए-हज नुमायाँ तौर पर अपने क़रीबी रिश्तेदार, क़ानूनी हक़दार का मोबाइल नंबर हज दरख़्वास्त फ़ॉर्म में दर्ज करें।

9. खादिमुल-हुज्जाज: हिंदुस्तानी आज़मीन-ए-हज की सफ़र के दौरान मदद फ़राहम करने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय विभिन्न राज्यों/ केन्द्र शासित

इलाकों से खादिमुल-हुज्जाज का चुनाव करके सऊदी अरब भेजती है। यह खादिमुल-हुज्जाज सरकारी मुलाजिम होते हैं।

10. आब-ए-ज़मज़म: सऊदी अरब से वापसी के वक़्त कोई भी हाजी अपने साथ अलग से ज़मज़म केन/ प्लास्टिक केन चेक-इन बैग या केबिन बैग में न लाएँ। सऊदी अरब ऐसी सभी चीज़ें ज़ब्त कर लेंगे जिसमें ज़मज़म या कोई भी मना की गई चीज़ मौजूद होंगी। वतन वापसी पर एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले तमाम हुज्जाज-ए-किराम को एयरलाइंस 5 लीटर ज़मज़म का केन फ़राहम करेगी।

11. कुर्बानी: इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक (IDB) वह वाहिद इदारा है जिसे सऊदी हुकूमत ने आजमीन-ए-हज के लिए कुर्बानी का इख़्तियार दिया है। हुज्जाज-ए-किराम को कुर्बानी के नाम पर

धोखेबाजों के झांसे में नहीं आना चाहिए। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक (IDB) के ज़रिए Adahi का इंतिज़ाम हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया के ज़रिए उन कवरों के लिए किया जाता है जो इसका इंतिखाब करते हैं। (एक कवर के सभी आजमीन को एक साथ इंतिखाब करना होगा।) एक बार इस्तेमाल करने का इस्तिथार मन्सूख नहीं किया जाएगा।

12. क़ानूनी हैसियत:

- हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया बिना किसी मुआवज़ा या मुनाफ़ा के हुज्जाज-ए-किराम के लिए अपनी ख़िदमात देती है। हुज्जाज से जो रक़म वसूल की जाती है वह एजेंसियों की जानिब से मुहैया की जाने वाली सहूलियात के बदले में उन एजेंसियों को अदा करनी होती है। आजमीन-ए-हज यह नोट कर लें कि वह फ़राहम की गई ख़िदमात में

कमी या किसी ऐसी भूल की वजह से जो हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया के इख्तियारात से बाहर हो, किसी क़ानून के तहत कोई हर्जाना तलब नहीं कर सकते।

- **अदालती कार्यवाही:** मोहकमा-ए-डाक (डाक विभाग) की कोताही, डाक ख़ाने से ख़त देरी से पहुँचने, ख़त डाक में ग़ायब हो जाने, किसी ख़त के ग़लत जगह पहुँचने के नताइज के सिलसिले में हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया, मुंबई किसी भी सूरत में ज़िम्मेदार नहीं होगी। कोई तनाज़िआ (विवाद, झगड़ा) होने की सूरत में अदालती कार्यवाही का हक़ सिर्फ़ बॉम्बे हाईकोर्ट को ही होगा।

13. मन्मूआ अशिया और दीगर पाबंदियाँ:

- 1 . किसी भी क्रिस्म की आतिशगीर अशिया

(ज्वलनशील पदार्थ) जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल और स्टोव जैसी चीजें किसी भी शक्ल में अपने साथ न ले जाएँ। अगर कोई आजिम किसी भी तरह की मम्मूआ अशिया के साथ पाया गया तो उसे सऊदी क़ानून के मुताबिक़ सख़्त सज़ा दी जाएगी।

2. ख़शख़ाश, वायगरा गोली (Viagra Tablet), जिंसी तेल या क्रीम, मस्नूई काफ़ूर, सेस्टोन, ख़मीरा, गुटका, खैनी, गुल या कोई भी नशीली चीज़ किसी भी शक्ल में ले जाने की सख़्त मनाही है। तमाम हुज्जाज-ए-किराम को चेतावनी दी जाती है कि ऐसी मना की गई चीज़ें ले जाने वाले आजिम को हज़ पर जाने से रोक दिया जाएगा। साथ ही साथ मना किए गए सामान ले जाने के जुर्म में सख़्त तरीन जुर्माना भी लगाया जाएगा और लोगों को सऊदी अरब से फ़ौरन हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा और संबंधित एजेंसियों

के ज़रिए ऐसे आज़िम-ए-हज के खिलाफ़ ज़रूरी कार्यवाही भी की जाएगी।

3. सऊदी अरब पहुँचने के वक़्त अपने साथ किसी भी क्रिस्म का सियासी लिटरेचर, पुस्तक, मैगज़ीन, गंदी तस्वीर या इस तरह के कोई भी जिंसी सामान लाने पर मुकम्मल पाबंदी है। सऊदी हुकूमत ने चेतावनी दी है कि इन हिदायात की खिलाफ़-वर्ज़ी (उल्लंघन) करने वाले लोगों को सख़्त से सख़्त सज़ा दी जाएगी।

4. सऊदी अरब की हुकूमत ने खाने की चीज़ें, पकी हुई या कच्ची हालत में अपने देश में लाने पर पाबंदी लगा दी है। इसलिए तेल, घी, अचार, चटनी, मछली, मिठाईयाँ, सब्ज़ियाँ, फ़ल या इन जैसी दूसरी चीज़ें वग़ैरा अपने सामान के साथ या किसी दूसरे तरीक़े से सऊदी अरब ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। जेद्दा,

मदीना या हिंदुस्तानी एयरपोर्ट पर कस्टम के अधिकारी ऐसी चीजें ज़ब्त कर लेंगे और आजमीन को तकालीफ़ का सामना करना होगा। इसलिए आजमीन-ए-हज को यह सख़्त मशवरा दिया जाता है कि हज के लिए रवाना होते वक़्त वह खाने-पीने की कच्ची या पक्की चीजें लेकर न जाएँ।

5 . हुज्जाज-ए-किराम अपने साथ गैस, कूकर, सिलेंडर या मिट्टी के तेल का स्टोव या कोई और आतिशगीर अशिया (ज्वलनशील पदार्थ) न ले जाएँ क्योंकि मिना में आतिशगीर अशिया (ज्वलनशील पदार्थ) ले जाने की सख़्त मनाही है।

6. सऊदी अरब में तिजारत के लिए ज़्यादा तादाद में ख़रीद व फ़रोख़्त किए जाने वाले सामान ले जाने पर भी पाबंदी है। अगर इस वजह से कोई अपनी परवाज़ से रोका जाता है तो इसके लिए वह ख़ुद ज़िम्मेदार

होगा/होगी और ऐसे आजिम के सफ़र के सारे अख़राजात भी ज़ब्त कर लिए जाएंगे।

7. हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया से हाजियों की शक़ल में जाने वाले गदागरों (भिकारियों) पर सख़्त पाबंदी है। उनके ख़िलाफ़ मौजूदा क़वानीन के तहत सख़्त कार्यवाही होगी। साथ ही हज के सफ़र को मन्सूख़ (कैंसिल) कर दिया जाएगा और उसको हिरासत में ले लिया जाएगा और जमा की गई रक़म ज़ब्त कर ली जाएगी।

8. सऊदी कस्टम के क़ानून के तहत एक ही ख़ानदान के अफ़राद को 60,000/- सऊदी रियाल के बराबर या उससे ज़्यादा की नक़दी या कीमती चीज़ ले जाने पर उसका कस्टम अधिकारी (हवाई अड्डे) को इज़हार करना करना पड़ेगा।

14. इंतिबाह (चेतावनी):

- 1) तमाम आजमीन-ए-हज को सऊदी हुकूमत की तरफ़ से अपनी हिफ़ाज़त के साथ-साथ साथी आजमीन की हिफ़ाज़त के लिए बताई गई हिदायात और उसूलों की सख़्ती से पाबंदी करनी होगी।
- 2) सऊदी अरब के सिक्योरिटी अहलकारों, हरमैन शरीफ़ैन के मुहाफ़िज़ों, पुलिस अहलकारों, मक्कामी इदारों के ओहदेदारों/ नुमाइंदों, मोअल्लिम के अमले, इमारत के हारिस (गार्ड), अफ़सरों, अहलकारों, डॉक्टरों, नर्सों, एम्बुलेंस के ड्राइवरों और अमले के साथ किसी क्रिस्म की बहस/ झगड़े ना करें।
- 3) सऊदी अरब में क्रियाम के दौरान किसी भी तरह की ग़लत हरकत करते पाए जाने पर सख़्त

कार्यवाही की जाएगी जिनमें जुमनि और अन्य
क्रानूनी कार्यावाही के साथ फ़ौरन हिंदुस्तान
वापसी भी शामिल है।

शेख सादी का क़ौल

- तमाम इंसान एक दूसरे का अंग हैं जिनको एक ही जौहर से पैदा किया गया है। अगर इंसान के जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो दूसरा हिस्सा सुकून से नहीं रह सकता। अगर आप दूसरे इंसानों की तकलीफ़ में दुखी नहीं होते तो आप इंसान कहलाने के हक़दार नहीं हैं।
- मैं पूरी ज़िंदगी दो बंदों को तलाश करने पर भी तलाश न कर सका। एक वह जिसने अल्लाह के नाम पर दिया हो और ग़रीब हो गया हो। दूसरा वह जिसने ज़ुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो।

नज़्म व ज़ब्त (प्रबंधन)

डॉ. गुलाम मुहीउद्दीन बट

हज कमेटी के गाइडलाइंस पर अमल करते वक़्त हमारे बर्रे-सगीर (उपमहाद्वीप) के कुछ हाजियों में discipline की कमी पाई जाती है जिससे दूसरों के हज की ख़राबी का सबब बनते हैं। ज़्यादातर लोग शुरू से ही चीज़ों की ख़रीदारी में अपना क़ीमती वक़्त बर्बाद कर देते हैं।

हज के बाद नाशुक्ऱी करना: बहुत सारे हाजी साहिबान अपने सफ़र के आख़िरी दिनों में नाशुक्ऱी का इज़हार करते हैं कि मिना, अराफ़ात में खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला और सहूलत नहीं मिलने पर नाशुक्ऱी करते हैं और ड्यूटी अमले को पैसे वापस

देने पर तंग करते हैं। इस अमल से वह अपने हज को खराब करते हैं जिससे हमें परहेज़ करना चाहिए।

हज के दौरान ग़ैर ज़रूरी बातों पर लड़ना: बहुत सारे हाजी आपस में छोटी चीज़ों जैसे नमाज़ में कसर करना पर लड़ते रहते हैं और इसमें मु़ख्तलिफ़ सोच के उल्मा शामिल होते हैं और एक दूसरे को काफ़िर तक कह जाते हैं। ऐसे ग़ैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करना चाहिए।

ड्यूटी अमले के साथ अच्छा सुलूक करना: बहुत सारे हाजी साहिबान ड्यूटी अमले के साथ लड़ते रहते हैं। ऐसी छोटी चीज़ें जैसे कभी लिफ़्ट खराब होने पर, मियाँ बीवी को अलग कमरा न मिलने पर, खाना वक़्त पर न मिलने पर, और अकसर उन पर यह ताना मारते हैं कि यह लोग उन्हीं के ख़र्च पर आते हैं। ऐसे हाजी अपना हज बर्बाद करते हैं। इस मामले में भी एहतियात ज़रूरी है।

खुसरो फ़ाउण्डेशन: एक नई पहल

हिंदुस्तान जन्नत निशान, जो मज़हबी, भाषायी एवं सांस्कृतिक विविधताओं का देश है और 'अनेकता में एकता' से जिसकी पहचान होती है। इस महान देश का इतिहास मानव-प्रेम की मिसालों से भरा पड़ा है। जिसमें शक्ति और शान्ति भक्तों के गीतों का नतीजा है और हिंदुस्तान हमेशा इस बात का गवाह रहा है कि धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है।

पता नहीं कि दुनिया को किसकी बुरी नज़र लग गई कि सामाजिक निकटता दरियों में बदलने लगी हैं। सच्चाई तो यही है कि इस देश की

अधिकांश लोग आज भी इस अलगाव तथा विभाजन का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है, परन्तु बहुसंख्यक अगर खामोश रहती है तो उसका अस्तित्व गहरे अन्धकार के गर्त में समा जाता है। वर्तमान में अधिकांश लोग समाज एवं मानवता के दुखों का निवारण करने के बजाय केवल और केवल अपने आप में व्यस्त हैं। वह मनुष्य जो कभी जनसाधारण की आकांक्षा का स्वर हुआ करता था आज अपने आप तक ही सीमित होकर रह गया है। इन हालात में हाथ में हाथ धरे बैठा नहीं रहा जा सकता और इसलिए जरूरी है कि एक बार उन सभी प्रतीकों को फिर से ज़िंदा किया जाए जो “मुहब्बतों की गाथा” और “प्रेम के ढाई अक्षर” से एक दूसरे को जोड़े रहे जिनके नज़दीक मादरे-वतन, यहाँ पैदा और बसने वाले, इसके दरियाओं का पानी पीने वाले, इसके

खेतों में पैदा होने वाले अन्न से अपनी भूख मिटाने वालों को फिर इस बात का एहसास दिलाया जाए कि उनका मज़हब, ज़बान और इलाक़ा कुछ भी हो सकता है लेकिन माँ और माटी से उनका रिश्ता इस दुनिया के पैदा करने वाले और चलाने वाले रब की मर्ज़ी का नतीजा है और जिसमें रब राज़ी उसमें सब राज़ी रहें तो ही बेहतरी और भलाई है।

हिंदुस्तान में एक दूसरे को जोड़ने वालों का यदि उल्लेख किया जाए तो उनके नाम और काम गिनाने में कोई देर न लगेगी लेकिन अगर एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करने वालों और बाँटने वालों के नाम पूछे जाएँ तो उसे उनके नाम याद करने और बताने में बड़ी मुश्किल आएगी।

इन सबके बावजूद आज फिर यह दूरियाँ, यह टकराव और हिंसा बार-बार क्यों देखने को मिल रही है। इसका सीधा-साधा जवाब यही है कि

हमने उन्हें भुला दिया है जिन्हें हमें याद रखना चाहिए था। देवी-देवताओं, पैगंबरों, पीरों और ऋषियों-मुनियों के त्याग, तपस्या, समर्पण और सेवाभाव को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। उनकी शिक्षाओं तथा उनके उपदेशों को एक बार फिर लोगों तक पहुँचाया जाना चाहिए।

यही वह सोच और फ़िक्रमंदी है जिसके तहत 'खुसरो फ़ाउण्डेशन' की स्थापना की गई है। हज़रत अमीर खुसरो मध्यकालीन भारत के एक ऐसे लोकप्रिय, मनमोहक एवं सर्वव्यापी व्यक्तित्व हैं, जिन्हें सदियाँ गुज़रने के बाद भी याद रखा गया और हमेशा याद रखा जाएगा। वह सूफ़ी भी थे और सिपाही भी, कवि भी थे और संगीतकार भी, इतिहासकार भी थे और इतिहास बनाने वाले भी। उनके व्यक्तित्व की सार्वभौमिकता और विशिष्टता ने उन्हें न केवल

विभिन्न गुणों का वाहक बनाया था बल्कि बहुआयामी विशेषताओं से परिपूर्ण किया था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बड़े-बड़े नामियों के निशान मिट गए लेकिन हज़रत अमीर ख़ुसरो आज भी न सिर्फ़ हमारी तारीख़ का एक हिस्सा हैं बल्कि हर इंसान के दिल व दिमाग़ में रचे बसे हैं। वे लोगों के दिलों में इस प्रकार रचे-बसे हैं कि ख़ुशी के लम्हे हों या दुख के पल, हज़रत अमीर ख़ुसरो का नाम तथा उनकी रचनाएँ सदैव अपनी प्रासंगिकता के साथ हमारे साथ हैं।

इस गुत्थी को तो मनोवैज्ञानिक ही सुलझा सकते हैं कि हज़रत अमीर ख़ुसरो ने अपनी विभिन्न दरबारी एवं ख़ानक्राही गतिविधियों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित किया। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ख़ुसरो ने यह संतुलन अपने व्यक्तित्व के ख़रेपन के साथ स्थापित किया था।

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनका हर जुड़ाव और हर किरदार खुली पुस्तक की तरह सब पर ज़ाहिर था और इस खुलेपन के बावजूद ज़िंदगी भर कामयाब रहे। सच्चाई से भरपूर चिंतन हज़रत अमीर ख़ुसरो के व्यक्तित्व को हमारे समक्ष एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है।

इस भारतीय तुर्क का देश-प्रेम न केवल मिसाली है, बल्कि क़ाबिले-रश्क भी है। ख़ुसरो के नज़दीक भारत की धरती अदन की जन्नत है। यहाँ के लोग प्रत्येक रंग व रूप में उन्हें प्रिय हैं। यहाँ के दरबारों के समक्ष ईरान, तूरान और ख़ुरासान के दरबार फीके दिखाई देते हैं। यहाँ के लोग कृषि, उद्योग, व्यापार के साथ-साथ विज्ञान एवं कला के प्रत्येक क्षेत्र और सैन्य प्रशिक्षण के प्रत्येक रूप में अद्भुत एवं अनूठे हैं। एक पक्का मुसलमान होने के

बावजूद भी उन्हें भारत की सभी विचारधाराएं प्रिय हैं। वे कहते हैं कि "यद्यपि भारतवासी हमारे जैसा धर्म नहीं रखते, परन्तु उनकी अधिकतर मान्यताएं हमारे जैसी हैं।"

आज ज़रूरत इस बात की है कि हम भारतवासी, भारत की प्रत्येक परंपरा को, चाहे वह धार्मिक हो या सांस्कृतिक अथवा भाषायी, शैक्षिक हो या साहित्यिक, उसे हज़रत अमीर ख़ुसरो की तरह देखें, अपनाएं और उसके लिए ख़ुद को समर्पित कर दें। हज़रत अमीर ख़ुसरो, जिनकी माँ भारतीय थीं और पिता तुर्क, एक ऐसे भारतीय हैं जो न केवल भारत की महानता के तराने गाते हैं बल्कि अपने आपको इस मिट्टी का इस प्रकार अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं जैसे यह मिट्टी ही सब कुछ हो। देश की मिट्टी से इस लगाव और प्रेम को अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस तरह बयान किया है:

तेरी इक मुश्त-ए-खाक के बदले
लूँ न हर्गिज अगर बहिश्त मिले
खुसरो फ़ाउण्डेशन देशभक्ति, मानव प्रेम तथा
प्रकृति से निकटता को अपनाने और सभी प्रकार
के भेदभाव और नफ़रत से ऊपर उठकर मुहब्बत
को आम करना चाहती है। जिसको शैख़ इब्राहीम
जौक़ ने यूँ बयान किया है:

गुल्हाए-रंगा-रंग से है ज़ीनत-ए-चमन
ऐ 'जौक़' इस जहाँ को है ज़ेब इख़्तेलाफ़ से

खुसरो फ़ाउण्डेशन की स्थापना से लेकर अब तक मुल्क की मुख्तलिफ़ इल्मी, दीनी, फ़िक्री और समाजी शख़िसयात ने खुसरो फ़ाउण्डेशन के काम को सराहा है और हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी हौसला अफ़ज़ाई की है। उन्हीं शख़िसयात में से एक अहम शख़िसयत हमारे प्यारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहतरम अजीत डोभाल साहब भी हैं जिन्होंने पिछले साल सऊदी अरब से तशरीफ़ लाए हमारे मुख्य अतिथि और वर्ल्ड मुस्लिम लीग के सेक्रेट्री जनरल डॉ शेख अल-ईसा के साथ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हमारे प्रोग्राम को खिताब करते हुए खुसरो फ़ाउण्डेशन, उसके काम और हिंदुस्तानी मुसलमानों को सराहा था और

हमें और आगे काम करने का हौसला दिया था। हम उनके इस जज़्बे को सलाम करते हैं। हमें जनाब अजीत डोभाल साहब की देशभक्ति और मुल्क के नौजवानों को देश की तामीर में बुनियादी किरदार अदा करने के लिए मोटिवेट करने के जज़्बे ने ख़ास तौर से मुतअस्सिर किया है।

हम ख़ास तौर पर फ़ाउण्डेशन फ़ॉर पिल्यूरालिस्टिक रिसर्च एण्ड एम्पावरमेंट के शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने हमेशा हमें तआवुन पेश किया और साथ ही साथ सेंट्रल हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया के जिनकी बेवसाइट से इस किताब की हज गाइडलाइंस से हमने इस्तिफ़ादा किया।

लेखकों के लिए खुशखबरी

खुसरो फ़ाउण्डेशन मुख्तलिफ़ इस्लामी उन्वानात, इंसानियत और हिंदुस्तानियत को जोड़े रखने वाले मसाइल, तालीम, क़ौमी सलामती और इंसानियत कि बक्रा के जैसे मौजूआत पर मुन्फ़रिद लिटरेचर शाए करता है और उसको मुल्क की मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़, यूनिवर्सिटिज़ और मदारिस में भेजता है। अगर आप भी हमारे मक्रासिद के मुताबिक़ कोई किताब लिखना चाहते हैं तो हमारी

वेबसाइट: www.khusrofoundation.org

ईमेल: khusrofoundation.del@gmail.com

और व्हाट्सएप नंबर 93184-31341

पर हम से राबता क़ायम करें।

हम न सिर्फ़ आपकी किताब को छाप सकते हैं बल्कि हम अपने क़लमकारों की ख़िदमत में एक मुख्तसर इकरामिया पेश करते हैं।

छात्रों के लिए खुशखबरी

खुसरो फ़ाउण्डेशन हर साल ऑनलाइन मज़मून-निगारी मुक़ाबला मुन्अक़िद करता है जिसमें हायर सेकेंड्री स्कूल और अण्डर ग्रेजुएट तलबा को शामिल होने का मौक़ा दिया जाता है। पोज़ीशन हासिल करने वाले तलबा को इनआमात से नवाज़ा जाता है जबकि शामिल होने वाले तमाम शुरका को सर्टीफ़िकेट्स दिए जाते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.khusrofoundation.org पर ज़रूर विज़िट करते रहें और आने वाले मज़मून-निगारी मुक़ाबले में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा से शामिल कराएँ।



3 Years of Inclusive Journalism

नकारात्मकता के खिलाफ़ एक सकारात्मक पत्रकारिता

आवाज़- द वॉयस

भाईचारे, प्रेम, मानवता, सद्भाव और देशभक्ति की
पत्रकारिता

पढ़िए उर्दू, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी, असमिया और मराठी में

ज़ायरीन-ए-हज को मुबारकबाद

एक अभियान का नाम है

Awaz e Khwateen

(VOICE OF WOMEN)
FORUM

हमारा मक़सद है-

सक्षम महिला, सुखी परिवार, सशक्त समाज
और

महिला सशक्तिकरण

 www.awazekhwateen.org

Follow us: ✕ @AKhwateen  AWAZ E KHWATEEN

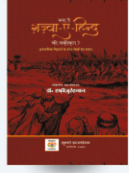
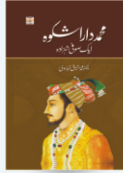
 @awazekhwateen  AwazeKhwateen

Contact us:-  9311339116





خسرو فاؤنڈیشن KHUSRO FOUNDATION



Contact us:

follow us on:

Khusro Foundation

D-319, Defence Colony, New Delhi 110024

www.khusrofoundation.org

khusrofoundation.del@gmail.com

+91-9318431341

@Khusrofounda

@Khusrofoundation

@Khusro_foundation

@Khusrofoundation

ISBN 81-971585-2-5



9 788197 158520

हदिया-ए-खुलूस